115 112 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

सांप्रदायिक सद्भाव
COMMUNAL HARMONY

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

तपसील वर्णित भूमि का मूल्य मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

21-2-12

[illegible] 1908 की धारा [illegible]
16 (1) [illegible] के अधीन
[illegible]
[illegible] 1899 की [illegible]
23 I-A with the permission [illegible]
by L.R.D.C. Simdega vide
Case No. 191/2011-12
order dated
21-12-11

21-2-12

ह० नि० डेविड खड़िया मो० 1,60,000/= रूपये नगद कीमत चुकता पाकर 0.10 एकड़ जमीन रैयती बिक्री किया मोकिर मेरे सामने टेपा दिया सो सही
बा० छि० शिवनाथ महतो 21.2.2012

(1) लेखकारी:- श्री डेविड खड़िया पिता स्व0 इमलुस खड़िया
जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सलडेगा
रानीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
...... बिक्रेता ।

पहचान

ह० नि० विनय टेटे पिता श्री जुबिल टेटे ग्राम सलडेगा रानी टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा पहचान मेरे सामने टेपा दिया सो सही
बा० छि० शिवनाथ महतो दि० 21.2.2012

प्रपत्र-पत्र संख्या:- 62 | 2012

577/11

0002651/11

S0/Rlw0 517 dt 20-12-11

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी
20 DEC 2011
20/12/11

डेविड खड़िया
वल्द स्व० इमलुस खड़िया
सा० सलडेगा जिला सिमडेगा को
निम्नलिखित ननजुडिसियल स्टॉ
वास्ते ... दस्तावेज ...
रुपया 6,400/- ...
20/12/11
कोषागार लिपिक

5000 x 1 = 5000/-
1000 x 1 = 1000/-
100 x 4 = 400/-
कुल – 6400/-

हस्ता० डेविड खड़िया
द्वारा शिवनाथ महतो
ता: 21-2-2012

21-2 ... 10 to 1
... निबन्धन, कार्यालय
... में ... था। हस्ताक्षरी
... खड़िया
पिता / पति श्री स्व० इमलुस खड़िया
सलडेगा ... सिमडेगा
थानेटोली ... खेती

21-2-12

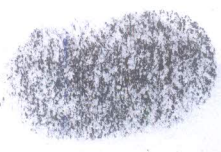

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(2) लेख्यधारी:- श्री डोमनिक डांग पिता स्व0 फ्रांसिस डांग जाति- मुण्डा, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा बाजारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 63/2012

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला कैना कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग एक लाख साठ हजार रुपये अंके 1,60,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा खास, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 73 (तिहत्तर) प्लॉट नं0 539 (पाँच सौ उनचालिस) रकबा 0.79 एकड़ में से 0.10 एकड़ (दस डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- डोन नीज बिक्रेता,

दक्षिण:- इसी प्लॉट पर छोड़ा गया रास्ता कच्चा 10 फीट चौड़ा,

पूरब :- टांड़ इसी प्लॉट का अंश,

100Rs.

--3--

पश्चिम:- टांड़ इसी प्लॉट का अंश ।
मालगुजारी 3 पैसा (तीन पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेखयकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की ज़रूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेखधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा राने खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन मुझे उत्तराधिकारी के हैसियत से मौखिक मियादी बँटवारा

100 Rs.

--5--

में प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । फिलहाल मालगुजारी रसीद मेरे दादा राने खड़िया वगैरह के नाम से कटता है ।

(4) चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 191/2011-12 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 21.12.11 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 1296(II) दिनांक 21.12.2011 है ।

(5) इसलिए अब चाहिए कि लेखधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैना कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

ह०नि० डेविड खड़िया
वाखि० विश्वनाथ महतो
ता: 21-2-2012

ह०लि० डेविड खड़िया
द्वा० विश्वनाथ महतो
ता: 21-2-2012

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी डेविड खड़िया के बायें हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है। Sita Ram Mahto
Advocate
21.2.12

मैं लेखयधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Domnik Dang
Dt: 21.02.2012

प्रमाणित किया जाता है कि लेखधारी श्री डोमनिक डांग के बाये हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Sita Ram Mahto
Advocate
21.02.12

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Sita Ram Mahto
Advocate
21-2-12

{प्रारूपकर्त्ता}
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
21-2-2012

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।